राजस्थान ने रामगढ़ क्रेटर को भारत के पहले भू-विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने **बारां ज़िले में 165 मिलियन वर्ष पहले उल्का प्रभाव** के कारण बने 3 किलोमीटर व्यास वाले **रामगढ़ क्रेटर** को आधिकारिक तौर पर **देश के पहले** भू-विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है।

मुख्य बिंदु:

- रामगढ़ क्रेटर अपनी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैवविविधता, स्थानीय समुदायों और समाज के लिये सांस्कृतिक तथा विरासत मूल्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - यह महत्त्व **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत घोषित संरक्षण रिज़र्व अर्थात् रामगढ़ संरक्षण रिज़र्व के रूप में इसकी स्थिति से परिलक्षित होता है।
- राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के अनुसार, क्रेटर के अंदर स्थित **पुष्कर तालाब** खारे और क्षारीय जल दोनों का स्रोत है, जो क्षेत्र की सुंदरता तथा विविधता को बढ़ाता है।
  - इन झीलों को **वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017** के तहत वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- रामगढ़ क्रेटर एक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर मानवीय मूल्यों के महत्त्वपूर्ण आदान-प्रदान को प्रदर्शित करता है, जो वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, नगर-योजना या परिदृश्य डिज़ाइन के विकास में परिलक्षित होता है।
  - खजुराहो में **चंदेल राजवंश** और उनके मंदिरों से प्रभावित **भांड देव मंदिर**, इस तरह के आदान-प्रदान का एक उदाहरण है।
  - उल्का प्रभाव क्रेटर पर इसका निर्माण इसकी विशिष्टता और महत्त्व को बढ़ाता है।

रामगढ़ क्रेटर

//

- यह राजस्थान में **बारां ज़िले के रामगढ़ गाँव के निकट स्थित विंध्य पर्वत शृंखला के कोटा पठार में 3.5 किलोमीटर व्यास का** एक उल्का प्रभाव क्रेटर है।
- इसे **औपचारिक रूप से भारत में तीसरे क्रेटर के रूप में स्वीकार किया गया है**, इसके व्यास का आकार **भारत में पहले से ही पुष्टि किये गए दो क्रेटरों के बीच होगा, मध्य प्रदेश में ढाला** (14 किमी व्यास) और **महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में लोनार** (1.8 किमी व्यास)।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली **जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण** , उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक **कानूनी ढाँचा** प्रदान करता है।
- यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर की सुरक्षा तथा निगरानी प्रदान की जाती है।
- वन्यजीव अधिनियम ने **CITES (वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन)** में भारत के प्रवेश को सरल बना दिया था।
- इससे पहले **जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के दायरे में नहीं आता था।** लेकिन अब **पुनर्गठन अधिनियम** के परिणामस्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू होता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-recognizes-ramgarh-crater-as-india-s-1st-geo-heritage-site